न्यायालय उपखंड अधिकारी, राजगढ़ जिला चूरु

बइजलास सुभाष कुमार (आर. ए. एस.)

वाद सख्या 230 सन् 2018

निर्णय दिनांक – 07.08.2018

दुर्गमल पुत्र गिरधारी जाति ब्राहम्ण निवासी दांतली तहसील राजगढ़ जिला चूरु

वादी

बनाम

जड़ाव पत्नी बृजलाल जाति ब्राहम्ण निवासी दांतली तहसील राजगढ़ जिला चूरु

धर्मपाल पुत्र बृजलाल जाति ब्राहम्ण निवासी दांतली तहसील राजगढ़ जिला चूरु

विनोद पुत्र बृजलाल जाति ब्राहम्ण निवासी दांतली तहसील राजगढ़ जिला चूरु

सीता पुत्री बृजलाल जाति ब्राहम्ण निवासी दांतली तहसील राजगढ़ जिला चूरु

सुमित्रा पुत्री बृजलाल जाति ब्राहम्ण निवासी दांतली तहसील राजगढ़ जिला चूरु

मंजु पुत्री बृजलाल जाति ब्राहम्ण निवासी दांतली तहसील राजगढ़ जिला चूरु

सोना पुत्री बृजलाल जाति ब्राहम्ण निवासी दांतली तहसील राजगढ़ जिला चूरु

सिलोचना पुत्री बृजलाल जाति ब्राहम्ण निवासी दांतली तहसील राजगढ़ जिला चूरु

सन्तरो पत्नी बनवारी जाति ब्राहम्ण निवासी दांतली तहसील राजगढ़ जिला चूरु

प्रकाश पुत्र बनवारी जाति ब्राहम्ण निवासी दांतली तहसील राजगढ़ जिला चूरु

सुरेन्द्र पुत्र बनवारी जाति ब्राहम्ण निवासी दांतली तहसील राजगढ़ जिला चूरु

बाला पुत्री बनवारी जाति ब्राहम्ण निवासी दांतली तहसील राजगढ़ जिला चूरु

सुनिता पुत्री बनवारी जाति ब्राहम्ण निवासी दांतली तहसील राजगढ़ जिला चूरु

कोशल्या पत्नी मोहन लाल जाति ब्राहम्ण निवासी दांतली तहसील राजगढ़ जिला चूरु

मणीशंकर पुत्र मोहनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी दांतली तहसील राजगढ़ जिला चूरु

रुघवीर पुत्र मोीन लाल जाति ब्राहम्ण निवासी दांतली तहसील राजगढ़ जिला चूरु

चन्द्रकला पुत्री मोहनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी दांतली तहसील राजगढ़ जिला चूरु

प्रेमकला पुत्री मोहनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी दांतली तहसील राजगढ़ जिला चूरु

वैशाली पुत्री मोहनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी दांतली तहसील राजगढ़ जिला चूरु

ओमप्रकश पुत्र लिछमण जाति ब्राहम्ण निवासी दांतली तहसील राजगढ़ जिला चूरु

श्रवण कुमार पुत्र लिछमण जाति ब्राहम्ण निवासी दांतली तहसील राजगढ़ जिला चूरु

कृष्णा पुत्री लिछमण जाति ब्राहम्ण निवासी दांतली तहसील राजगढ़ जिला चूरु

भंवरी पुत्री गोपीराम जाति ब्राहम्ण निवासी दांतली तहसील राजगढ़ जिला चूरु

केशर पुत्री गोपीराम जाति ब्राहम्ण निवासी दांतली तहसील राजगढ़ जिला चूरु

बनवारी पुत्र प्रभुराम जाति ब्राहम्ण निवासी दांतली तहसील राजगढ़ जिला चूरु

कमला पुत्री प्रभुराम जाति ब्राहम्ण निवासी दांतली तहसील राजगढ़ जिला चूरु

कलावती पुत्री प्रभुराम जाति ब्राहम्ण निवासी दांतली तहसील राजगढ़ जिला चूरु

कृष्णा पुत्री प्रभुराम जाति ब्राहम्ण निवासी दांतली तहसील राजगढ़ जिला चूरु

29. रामेश्वरी पुत्री प्रभुराम जाति ब्राह्मण निवासी दांतली तहसील राजगढ़ जिला चूरु
30. मैनादेवी पत्नी रामकुमार पुत्र प्रभुराम जाति ब्राह्मण निवासी दांतली तह. राजगढ़ जिला चूरु
31. सुगनचन्द पुत्र रामकुमार पुत्र प्रभुराम जाति ब्राह्मण निवासी दांतली तह. राजगढ़ जिला चूरु
32. विनोद पुत्र रामकुमार पुत्र प्रभुराम जाति ब्राह्मण निवासी दांतली तह. राजगढ़ जिला चूरु
33. दर्शना पुत्री रामकुमार पुत्र प्रभुराम जाति ब्राह्मण निवासी दांतली तह. राजगढ़ जिला चूरु
34. सुनिता पुत्री दर्शना पुत्री प्रभुराम जाति ब्राह्मण निवासी दांतली तहसील राजगढ़ जिला चूरु
35. राकेश कुमार पुत्र दर्शना पुत्री प्रभुराम जाति ब्राह्मण निवासी दांतली तहसील राजगढ़ जिला चूरु
36. विकाश कुमार दर्शना पुत्री प्रभुराम जाति ब्राह्मण निवासी दांतली तहसील राजगढ़ जिला चूरु
37. राजस्थान सरकार जरिये–श्रीमान तहसीलदार राजगढ़ जिला चूरु
38. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा राजगढ़ तहसील राजगढ़ जिला चूरु जरिये शाखा प्रबन्धक
39. भारतीय स्टेट बैंक शाखा सिद्वमुख तहसील राजगढ़ जिला चूरु जरिये शाखा प्रबन्धक

प्रतिवादीगण

40. हनुमान प्रसाद पुत्र चिमनाराम जाति ब्राह्मण निवासी दांतली तहसील राजगढ़ जिला चूरु
41. गिरदावरी पुत्री चिमनाराम जाति ब्राह्मण निवासी दांतली तहसील राजगढ़ जिला चूरु
42. जसोदा पुत्री चिमनाराम जाति ब्राह्मण निवासी दांतली तहसील राजगढ़ जिला चूरु
43. छिवणी पत्नी गुलाबचन्द पुत्र चिमनाराम जाति ब्राह्मण निवासी दांतली तह. राजगढ़ जिला चूरु
44. नानाराम पुत्र गुलाबचन्द पुत्र चिमनाराम जाति ब्राह्मण निवासी दांतली तह. राजगढ़ जिला चूरु
45. शेर सिंह पुत्र गुलाबचन्द पुत्र चिमनाराम जाति ब्राह्मण निवासी दांतली तह. राजगढ़ जिला चूरु
46. सायर पुत्री गुलाबचन्द पुत्र चिमनाराम जाति ब्राह्मण निवासी दांतली तह. राजगढ़ जिला चूरु
47. रोशनी पुत्री गुलाबचन्द पुत्र चिमनाराम जाति ब्राह्मण निवासी दांतली तह. राजगढ़ जिला चूरु
48. रविन्द्र पुत्र कृष्णा पुत्री गुलाबचन्द पुत्र चिमनाराम जाति ब्राह्मण निवासी दांतली तहसील राजगढ़ जिला चूरु
49. रामनिवास पुत्र गिरधारी पुत्र चिमनाराम जाति ब्राह्मण निवासी दांतली तह. राजगढ़ जिला चूरु
50. मस्तराम पुत्र शान्ति पुत्री चिमनाराम जाति ब्राह्मण निवासी दांतली तहसील राजगढ़ जिला चूरु
51. शिवभगवान पुत्र शान्ति पुत्री चिमनाराम जाति ब्राह्मण निवासी दांतली तह. राजगढ़ जिला चूरु
52. विद्या पुत्री शान्ति पुत्री चिमनाराम जाति ब्राह्मण निवासी दांतली तहसील राजगढ़ जिला चूरु
53. रामेश्वरी पुत्री शान्ति पुत्री चिमनाराम जाति ब्राह्मण निवासी दांतली तहसील राजगढ़ जिला चूरु
54. सुमित्रा पुत्री शान्ति पुत्री चिमनाराम जाति ब्राह्मण निवासी दांतली तहसील राजगढ़ जिला चूरु
55. पुष्पादेवी पत्नी धर्मपाल पुत्र शान्ति पुत्री चिमनाराम जाति ब्राह्मण निवासी दांतली तहसील राजगढ़ जिला चूरु
56. माया पुत्री धर्मपाल पुत्र शान्ति पुत्री चिमनाराम जाति ब्राह्मण निवासी दांतली तहसील राजगढ़ जिला चूरु
57. कुलदीप पुत्र धर्मपाल पुत्र शान्ति पुत्री चिमनाराम जाति ब्राह्मण निवासी दांतली तहसील राजगढ़ जिला चूरु

गौणप्रतिवादीगण

वाद विभाजन कृषि भूमि अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बरूवे शहादत तहरीरी व जबानी हर किस्म

उपस्थिति :–

श्री राकेश कुमार सांगवान, अधिवक्ता वास्ते वादी

श्री राजकुमार मुण्ड अधिवक्ता, वास्ते प्रतिवादी संख्या 1 ता 36 व गौणप्रतिवादीगण संख्या 40 ता 57

निर्णय

वादपत्र के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं कि वादी ने यह वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस न्यायालय में मय दस्तावेजात प्रस्तुत किया कि (1) **खाता संख्या 89** खसरा नम्बर 153 तादादी 5.7667 हैक्टेयर बा0 प्रथम, खसरा नम्बर 22 तादादी 3.9583 हैक्टेयर बा0 प्रथम खसरा नम्बर 63 तादादी 6.6267 हैक्टेयर बा0 प्रथम, खसरा नम्बर 69 तादादी 5.6023 हैक्टेयर बा0 प्रथम कुल किता 4 कुल तादादी 21.9540 वाके रोही कांजण तहसील राजगढ़ जिला चूरू में स्थित है। जिसमें वादी 7/144 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है। तथा **कृषि भूमि (2) खाता संख्या 49** खसरा नम्बर 100 तादादी 4.1101 हैक्टेयर बा0 दोयम, खसरा नम्बर 102 तादादी 1.7958 हैक्टेयर बा0 दोयम कुल किता 2 कुल तादादी 5.9059 वाके रोही चाहरवाला तहसील राजगढ़ जिला चूरू, जिसमें वादी 7/144 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है। वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 36 व गौणप्रतिवादीगण संख्या 40 ता 57 की सम्मिलित खातेदारी की स्थित है जिसका खाता अविभाजित है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 36 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये व जबाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश कर निवेदन किया व गौणप्रतिवादीगण संख्या 40 ता 57 ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित आ व इकबाल दावा पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 24 का इकजाई रखते हुये अलग सें खाता विभाजन किया जावे व प्रतिवादीगण संख्या 25 ता 36 ने भी अपने जबाव दावा में इकजाई रखते हुये अपना खाता विभाजन किया जाने का निवेदन किया व गौणप्रतिवादीगण संख्या 40 ता 57 ने अपने इकबाल दावा पेश कर अपना खाता वादी के साथ इकजाई रखते हुये अपना खाता विभाजन करने का निवेदन किया जो सामिल नकावली किया गया वादगत कृषि भूमि में वादी का 7/144–7/144 हिस्सा का खातेदार काश्तकार हैं तथा गौणप्रतिवादीगण संख्या 40 का 7/72–7/72 हिस्सा, गौणप्रतिवादीगण संख्या 41 व 42 का 1/72–1/72 हिस्सा, गौणप्रतिवादीगण संख्या 43 ता 48 का 7/432–7/432 हिस्सा , गौणप्रतिवादीगण संख्या 49 का 7/144–7/144 हिस्सा, गौणप्रतिवादीगण संख्या 50 ता 54 का 1/432–1/432 हिस्सा व गौणप्रतिवादीगण संख्या 55 ता 57 का 1/1296–1/1296 हिस्सा यानी वादी व गौणप्रतिवादीगण संख्या 40 ता 57 का सम्पूर्ण कृषि भूमि में 1/3 हिस्सा को वादी व गौणप्रतिवादीगण संयुक्तरुप से एकमुश्त काश्त करते आ रहे हैं। वादगत कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 प्रत्येक का 7/720–7/720 हिस्सा व प्रतिवादीगण संख्या 9 ता 13 प्रत्येक का 7/450 –7/450 हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 14 ता 16 प्रत्येक का 13/540–13/540 हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 17 ता 19 प्रत्येक का 1/540 –1/540 हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 20 ता 21 प्रत्येक 1/30–1/30 हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 22 का 1/90–1/90 हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 23 ता 24 प्रत्येक का 1/90–1/90 हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 25 ता 29 का प्रत्येक का 1/21–1/21 हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 30 ता 33 प्रत्येक का 1/84–1/84 हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 34 ता 36 प्रत्येक का 1/63–1/63 हिस्सा खातेदारी काश्तकारी का है। यही विवादित कृषि भूमि है। वादगत कृषि भूमि में वादी व गौणप्रतिवादीगण संख्या 40 ता 57 अपने सम्पूर्ण हिस्सा को संयुक्तरुप से एक साथ काश्त करते आ रहे हैं व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 24 अपने सम्पूर्ण हिस्सा को हिस्साकस्सी के अनुसार एक साथ सयुक्त काश्त करते है व प्रतिवादीगण संख्या 25 ता 36 अपने सम्पूर्ण हिस्से की कृषि भूमि को हिस्साकस्सी के अनुसार एक साथ सयुक्त रुप से काश्त करते आ रहे है जिनके मध्य में पुख्ता सींव अर्सादराज से डाली हुई है तथा लगातार इसी अनुरुप वादी व गौणप्रतिवादीगण संख्या 40 ता 57 व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 24 व प्रतिवादीगण संख्या 25 ता 36 काश्त व

उपखण्ड अधिकारी
राजगढ़ (चुरु)

खातेदारी पक्षकारों की संयुक्त खातेदारी में चले आने से वादी व गौणप्रतिवादीगण संख्या 40 ता 57 विवादित भूमि सम्पूर्ण कृषि भूमि में से इकजाई अपने हिस्से की भूमि को सुचारू रूप से काश्त कर उपयोग उपभोग कर पूरा फायदा नहीं उठा पाते हैं इसलिए वादी व गौणप्रतिवादीगण संख्या 40 ता 57 विवादित भूमि में से अपने हिस्से की हिस्साकस्सी की कृषि भूमि को मौका पर कब्जा काश्त अनुसार विभाजित करवाकर अपने हिस्से की कृषि भूमि अलग से अपनी पृथक् खातेदारी में दर्ज करवाने के अधिकारी हैं। व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 24 अपने हिस्से की कृषि भूमि को इकजाई रखते हुये अलग से मौका पर कब्जा काश्त अनुसार विभाजित करवाकर अपने हिस्से की भूमि अलग से अपनी पृथक् खातेदारी में दर्ज करवाने की अधिकारी हैं। व प्रतिवादीगण संख्या 25 ता 36 अपने हिस्से की कृषि भूमि इकजाई रखते हुये अलग से मौका पर कब्जा काश्त अनुसार विभाजित करवाकर अपने हिस्से की भूमि अलग से अपनी पृथक् खातेदारी में दर्ज करवाने की अधिकारी हैं। वादी व गौणप्रतिवादीगण संख्या 40 ता 57 की कब्जे काश्तवार अपने हक हिस्सा की हिस्साकसी के अनुसार कृषि भूमि का मौका कब्जा काश्त के अनुसार अलग से खाता विभाजन करवाकर वादी व गौणप्रतिवादीगण के नाम खातेदारी में दर्ज करवाने बाबत वादी ने प्रतिवादीगण को काफी बार कहा व कहलवाया लेकिन प्रतिवादीगण ने ऐसा करने व कराने से दिनांक 24.06.2018 को बमुकाम दांतली में साफ इन्कार कर दिया, आदि आदि व विभाजन का अनुतोष चाहा। व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 36 ने अपने जाबाव दावा में कहा है कि वादी व प्रतिवादीगण के मध्य कोई सम्पर्क नही होना कथन किया व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 36 ने खाता विभाजन करवाने के लिये वादी व गौणप्रतिवादीगण को कहा व कहलवाया लेकिन वादी व गौणप्रतिवादीगण ने ऐसा करने व कराने से दिनांक 03.08.2018 को बमुकाम दांतली में साफ इन्कार कर दिया, आदि आदि व विभाजन का अनुतोष चाहा।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया गया जिस पर प्रतिवादी संख्या 37 जरिए पैरोकार राज उपस्थित आए व वाद स्वीकार किए जाने में राज्य हित प्रभावित न होना जाहिर किया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 36 व गौणप्रतिवादीण संख्या 40 ता 57 की और राज कुमार मुण्ड अधिवक्ता उपस्थित आये अपना खाता अलग से विभाजन करने का निवेदन किया व प्रतिवादी संख्या 38 व 39 ने बैंक उनके विरुद्ध नियमानुसार एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मामला कृषि भूमि के खाता विभाजन का है राजहित प्रभावित होने की कोई संभावना नहीं है। प्रतिवादी संख्या 37 की ओर से कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है तथा प्रतिवादीगण संख्या 38 ता 39 के विरुद्ध विधिवत एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 36 व गौणप्रतिवादीगण संख्या 40 ता 57 ने जबाव दावा मय काउन्टर क्लेम पेश कर कब्जे काश्तवार अलग से खाता विभाजन चाहा गया है। राजस्व रिकार्ड से खाता अविभाजित होना व वादगत भूमि में वादी व गौणप्रतिवादीगण संख्या 40 ता 57 व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 24 का व 25 ता 36 का काश्तकार होना प्रमाणित है, जिसे खातेदार घोषित कर कब्जा काश्तवार खाता विभाजन किया जावे। अतः वाद प्राथमिक रुप से डिक्री किया जाकर तदनुरुप वादगत कृषि भूमि में वादी व गौणप्रतिवादीगण संख्या 40 ता 57 का इकजाई कब्जा काश्तवार, प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 24 का इकजाई कब्जा काश्तवार व प्रतिवादीगण संख्या 25 ता 36 का इकजाई रखते हुए भूमि का खाता विभाजन कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्साकसी के अनुसार व मौका पर कब्जा काश्त के अनुसार जाकर विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार राजगढ़ जिला चूरू से मंगवाया जाकर तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किए जाने का आदेश दिया जाना न्यायोचित्त प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी

आदेश

अतः वाद प्राथमिक रुप से डिक्री किया जाकर वादगत कृषि भूमि (1) **खाता संख्या 89** खसरा नम्बर 153 तादादी 5.7667 हैक्टेयर बा0 प्रथम, खसरा नम्बर 22 तादादी 3.9583 हैक्टेयर बा0 प्रथम, खसरा नम्बर 63 तादादी 6.6267 हैक्टेयर बा0 प्रथम, खसरा नम्बर 69 तादादी 5.6023 हैक्टेयर बा0 प्रथम कुल किता 4 कुल तादादी 21.9540 वाके रोही कांजण तहसील राजगढ़ जिला चूरू में स्थित है। जिसमें वादी 7/144 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है। तथा **कृषि भूमि (2) खाता संख्या 49** खसरा नम्बर 100 तादादी 4.1101 हैक्टेयर बा0 दोयम, खसरा नम्बर 102 तादादी 1.7958 हैक्टेयर बा0 दोयम कुल किता 2 कुल तादादी 5.9059 वाके रोही चाहरवाला तहसील राजगढ़ जिला चूरू में स्थित है जिसमें वादी 7/144 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है। वादगत कृषि भूमि में वादी का 7/144–7/144 हिस्सा का खातेदार काश्तकार हैं तथा गौणप्रतिवादीगण संख्या 40 का 7/72–7/72 हिस्सा, गौणप्रतिवादीगण संख्या 41 व 42 का 1/72–1/72 हिस्सा, गौणप्रतिवादीगण संख्या 43 ता 48 का 7/432–7/432 हिस्सा , गौणप्रतिवादीगण संख्या 49 का 7/144–7/144 हिस्सा, गौणप्रतिवादीगण संख्या 50 ता 54 का 1/432–1/432 हिस्सा व गौणप्रतिवादीगण संख्या 55 ता 57 का 1/1296–1/1296 हिस्सा यानी वादी व गौणप्रतिवादीगण का सम्पूर्ण कृषि भुमि में 1/3 हिस्सा को वादी व गौणप्रतिवादीगण संयुक्तरुप से एकमुश्त काश्त करते आ रहे हैं। वादगत कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 प्रत्येक का 7/720–7/720 हिस्सा च प्रतिवादीगण संख्या 9 ता 13 प्रत्येक का 7/450 –7/450 हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 14 ता 16 प्रत्येक का 13/540–13/540 हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 17 ता 19 प्रत्येक का 1/540 –1/540 हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 20 ता 21 प्रत्येक का 1/30–1/30 हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 22 का 1/90–1/90 हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 23 ता 24 प्रत्येक का 1/90–1/90 हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 25 ता 29 का प्रत्येक का 1/21–1/21 हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 30 ता 33 प्रत्येक का 1/84–1/84 हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 34 ता 36 प्रत्येक का 1/63–1/63 हिस्सा खातेदारी काश्तकारी का है। वादी व गौणप्रतिवादीगण सख्या 40 ता 57 का हिस्साकस्सी व कब्जा काश्त के अनुसार इकजाई रखते हुये व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 24 का हिस्साकस्सी व कब्जा काश्त के अनुसार घोषित कर इकजाई रखते हुये व प्रतिवादीगण संख्या 25 ता 36 का हिस्साकस्सी व कब्जा काश्त के अनुसार घोषित कर इकजाई रखते हुये कृषि भूमि का मौका पर कब्जा काश्त के अनुसार खाता विभाजन कर रिकार्ड में अलग अलग से अंकन किए जाने के आदेश दिए जाते हैं।

तहसीलदार, राजगढ़ जिला चूरु को अखरे रुपये दो सौ फीस वादी व प्रतिवादीगण व गौणप्रतिवादीगण पर मौका कमीश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड, खतेदार की मृत्यु होने पर उसके वारिसान को घोषित किया जाकर व मौका पर कब्जे काश्त के आधार पर किस्मवार राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंड़ल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 तथा रास्तों के सम्बन्ध में परिपत्र राजस्व विभाग दिनांक 06.11.2004 को दृष्टिगत रखते हुए तैयार कर अज अदालते माल के समक्ष दिनांक से पूर्व 3 प्रतियों में प्रस्तुत करें। प्राथमिक डिक्री जारी हो। शेष खाता बदस्तूर रहेगा। जिन पक्षकारान का हिस्सा बैंक के रहन है वह तद्नुरुप रहन रखा जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 07.08.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी